राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2113 व 2114 /2012/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–सी, जोधपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मै. वर्द्धमान प्लाईवुड,
दुकान नं.–26, केन्द्रीय तार घर के सामने
सरदारपुरा, जोधपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित .... प्रत्यर्थी

निर्णय दिनांक : 20/08/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–राजस्व द्वारा उपरोक्त दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित संयुक्त आदेश दिनांक 21.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सी, जोधपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9 (जिसे आगे **"केन्द्रीय अधिनियम"** कहा जायेगा) एवं राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"वेट अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23, 24 के तहत पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 23.12.2011 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों में से शास्ति व ब्याज को अपास्त करते हुए आई.टी.सी. के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की है।

2. उपरोक्त दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने एवं एक ही व्यवहारी से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है, निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. उपरोक्त दोनों प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष विवरण पत्र देरी से प्रस्तुत करने व कर देरी से जमा कराने पर कर निर्धारण अधिकारी नें ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया तथा राज्य सरकार की अधिसूचना एफ–12(92)एफडी/टैक्स/2011–46 दिनांक 15.09.2011 के अनुसार प्रत्यर्थी को लाभ प्रदान नहीं किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपीलें अपने संयुक्त आदेश दिनांक 21.08.2012 द्वारा प्रत्यर्थी की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, आई.टी.सी. के समायोजन पर प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिये गये तथा ब्याज व शास्ति

अपास्त कर दी गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त संयुक्त आदेश के विरूद्व, अपीलीार्थी–राजस्व द्वारा ये दोनों अपीलें पेश की गई है, जिनका विवरण निम्नानुसार नीचे लिखी तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र.सं.	अपील सं.	कर निर्धारण वर्ष	शास्ति	ब्याज	कुल योग
1	2113/2012	2009–10	7,550/–	–	7,550/–
2	2114/2012	2009–10	62,500/–	19,131/–	81,631/–

4. प्रत्यर्थी–व्यवहारी बावजूद नोटिस तामील के बहस के दौरान अनुपस्थित रहा है अतः उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए, विभाग के विद्धान उपराजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी राजस्व के विद्धान उपराजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकरी के आदेश को अपास्त करने एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. विचाराधीन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश पारित करते हुय रिटर्न देरी से प्रस्तुत करने के आधार पर राशि रू. 7,550/–की शास्ति आरोपित की है। इसी प्रकार वेट अधिनियम की धारा 23, 24 के अन्तर्गत कर निर्धारंण आदेश पारित करते हुये रिटर्न देरी से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति राशि रू 62,500/– एवं कर देरी से जमा कराने के कारण धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज राशि रू. 19,131/– व बकाया कर राशि रू 38,526/– जमा नहीं करवाने पर इस पर ब्याज राशि रू. 9246/– कुल ब्याज राशि रू 28,377/– आरोपित किया है। अपीलीय अधिकारी ने अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 के आधार पर ब्याज व शास्ति अपास्त की है तथा आई.टी.सी. राशि रू 1785/– का समायोजन करने के निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि रिटर्न देरी से प्रस्तुत करने के कारण आरोपित शास्ति एवं कर देरी से जमा कराने के कारण आरोपित ब्याज विधिसम्मत है या नहीं। इस संबंध में अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 को अवलोकन करना समीचीन है :–

S.No. 2825 [F.12(92)FD/Tax/2011-46] Dated: 15.09.2011

In exercise of the powers conferred by section 51 A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), and in supersession of this Department's notification No. F.2 (25)FD/Tax/11-169 (S.No.2766) dated 30.03.2011, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby waives the amount of penalty and interest payable, for the year 2009-10, by the dealers who have filed all returns and have deposited all due tax relating to the year 2009-10 up to 30-09-2011.

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार यदि किसी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2009–10 से संबंधित देय कर दिनांक 30.09.2011 तक जमा करा दिया जाता है व रिटर्न 30.09.2011 तक प्रस्तुत कर दी जाती है तो ब्याज व शास्ति में छूट दी गई है। विचाराधीन प्रकरण

लगातार.....3

में कर राशि रू 1785/– इस आधार पर बकाया है क्योंकि आरम्भिक आई.टी.सी. राशि रू 1785/– का समायोजन नहीं दिया गया है। इस राशि को ड्यू टैक्स की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 23.12.2011 के बिन्दु सं. 14 के अनुसार देरी से जमा कराने के कारण जिस टैक्स पर ब्याज आरोपित किया गया है वह टैक्स 30.09.2008 से पूर्व जमा करवा दिया है, अतः व्यवहारी को उपरोक्त अधिसूचना का लाभ देने से इन्कार किया जाना विधिसम्मत नहीं है। समस्त कर दिनांक 30.09.2011 तक जमा करा दिये जाने के कारण व रिटर्न दिनांक 30.09.2011 तक प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण ब्याज व शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी के संयुक्त आदेश दिनांक 21.08.2012 की पुष्टि की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य